खबर संक्षेप

तस्कर को अभयदान देने वाले सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र तिवारी सस्पेंड

शहडोल। पुलिस महकमे से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। गांजा तस्करों को खाकी का संरक्षण देने और ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने ब्यौहारी थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक वीरेंद्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया है। साहब की मेहरबानी का आलम यह था कि जिस कन्हैयालाल जायसवाल को ब्यौहारी पुलिस कागजों में फरार बताकर ढूंढने का ढोंग कर रही थी, वह पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम घूमकर कुंतलों गांजे की तस्करी कर रहा था।

30 मई की महाजब्ती ने खोला खाकी का कच्चा चि_ा- इस पूरे शर्मनाक गठजोड़ का खुलासा 30 मई को जयसिंहनगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई से हुआ। जयसिंहनगर पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर राहुल कुमार चर्मकार को दबोचा, जिसके कब्जे से साढ़े तीन क्विंटल (350 किलो) गांजा और दो गाड़ियां जब्त की गईं। इस दौरान तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। जब पकड़े गए तस्कर राहुल से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने फरार साथियों में चंदेला निवासी कन्हैयालाल जायसवाल का नाम उगल दिया।

डायरी दबाकर बैठे रहे साहब- असली कहानी तब खुली जब रिकॉर्ड खंगाला गया। कन्हैयालाल जायसवाल ब्यौहारी थाने के एक पुराने गांजा तस्करी के मामले में लंबे समय से वांटेड था। इस पूरे केस की डायरी और जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र तिवारी के पास था। आरोप है कि तिवारी जी ने आरोपी को पकडऩे के लिए कभी ईमानदारी से हाथ-पैर मारे ही नहीं। वे सिर्फ केस डायरी में उसे फरार दर्शाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे। इसी अभयदान का फायदा उठाकर कन्हैयालाल क्षेत्र में बेखौफ होकर नशे का जाल फैलाता रहा।

एसपी का चाबुक, महकमे में हडक़ंप- एक फरार आरोपी का दोबारा इतनी बड़ी गांजा तस्करी में नाम आना ब्यौहारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाचा था। उपनिरीक्षक वीरेंद्र तिवारी की यह घोर लापरवाही और संदिग्ध भूमिका उजागर होते ही एसपी ने बिना देर किए निलंबन का डंडा चला दिया। इस कडक़ कार्रवाई से जिले के उन पुलिसकर्मियों में हडक़ंप मच गया है जो अपराधियों से सांठगांठ कर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं।

नवांकुर संस्थाओं एवं परामर्शदाताओं को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

शहडोल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सलाहकार करण सिंह कौशिक की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत विकासखंड सोहागपुर में चयनित नवांकुर संस्थाओं एवं परामर्शदाताओं की बैठक आयोजित की गई। राज्य सलाहकार कौसिक ने परिषद की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, जनभागीदारी को बढ़ावा देने तथा सामाजिक विकास गतिविधियों को गति प्रदान करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नवांकुर संस्थाओं की भूमिका को समाज और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण बताते हुए सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। संस्थाओं द्वारा किए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान,नर्सरी निर्माण, पौधारोपण की तैयारी जैसे कार्यों की समीक्षा कर प्रसन्नता व्यक्त किया। बैठक में आगामी गतिविधियों की रूपरेखा, संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। तदुपरांत सलाहकार करण सिंह कौशिक ने संभाग कार्यालय का निरीक्षण किया गया। बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रामावतार यादव, संभाग समन्वयक, भीम सिंह डामोर,जिला समन्वयक विवेक पांडेय तथा विकासखंड सोहागपुर की चयनित नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता उपस्थित रहे।

हाइवा जब्त, 10 से अधिक ठिकानों पर रेड

शहडोल। जिले में रेत ठेका न होने का फायदा उठा रहे खनिज माफियाओं के खिलाफ माइनिंग विभाग ने तडक़े सुबह सर्जिकल स्ट्राइक की है। अवैध उत्खनन और परिवहन में जुटे रेत से लदे एक तेज रफ्तार हाइवा को टीम ने रंगेहाथ दबोच कर जब्त कर लिया। यही नहीं, विभाग ने माफियाओं के हौसले पस्त करते हुए जिले के 10 से अधिक अवैध भंडारण ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस ताबड़तोड़ रेड में करीब 130 घन मीटर अवैध रेत का स्टॉक जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

सोहागपुर एरिया में ब्लैकमेलिंग और दलाली पर प्रशासन का शिकंजा

25 प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई

नौकरी, मुआवजा और ठेका कार्यों की मांगों को लेकर हुए विरोध के बाद पुलिस-प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख

खनन कार्य बाधित करने वालों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

एसईसीएल सोहागपुर एरिया की शारदा ओसीएम खदान में नौकरी, मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर किए गए चक्का जाम के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अमलाई थाना पुलिस ने बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत 25 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा कायम किया है। प्रशासन का कहना है कि खनन और कोयला परिवहन बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

शहडोल

जिले के अमलाई थाना क्षेत्र स्थित शारदा ओपन कास्ट माइंस में ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा कदम उठाया है। बकहो, बकही, रामपुर-बटुरा, बिछिया और अतरिया सहित आसपास के क्षेत्रों के भू-आश्रित किसानों और ग्रामीणों ने नौकरी, मुआवजा एवं अन्य मांगों को लेकर खदान गेट पर धरना दिया था। इससे कोयला परिवहन और उत्पादन कार्य प्रभावित होने लगा। स्थिति बिगडऩे की आशंका को देखते हुए पुलिस, कार्यपालिक दंडाधिकारी और कोल प्रबंधन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद 25 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

25 लोगों पर कार्रवाई

अमलाई थाना पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 170, 126(2) एवं 135(3) के तहत ज्ञानचंद महरा, प्रदीप चौधरी, गणेश प्रसाद केवट, राजेश सिंह बैरागी, रवि महरा, अशोक कुमार चर्मकार, रामशरण चौधरी, हरगोविंद प्रसाद महरा, प्रवीण सिंह, नारायण पाल, गणेश चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, अमित साहू, गोलू महरा, उदय यादव, संतोष चौधरी, दिनेश केवट, कृष्णचंद महरा, दुर्गेंद्र, राहुल महरा, ओमप्रकाश महरा, दीपक महरा, पंकज कुमार विश्वकर्मा और रामकुमार कोल के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा कायम किया है।

खनन कार्य हुआ प्रभावित

ग्रामीणों द्वारा खदान गेट पर टेंट, पंडाल और बैनर लगाकर प्रदर्शन किए जाने से कोयला परिवहन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। खदान में प्रवेश करने वाले भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही रुक गई। प्रशासन के अनुसार इससे कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ तथा वाहन चालकों और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनने लगी थी, जिससे कानून व्यवस्था बिगडऩे का खतरा उत्पन्न हो गया था।

कई परियोजनाओं में विवाद

सूत्रों के अनुसार केवल शारदा ओसीएम ही नहीं, बल्कि अमलाई ओसीएम, रामपुर बटुरा परियोजना और सोहागपुर एरिया की अन्य खदानों में भी समय-समय पर इसी प्रकार के विरोध और दबाव की स्थितियां बनती रही हैं। कोल कंपनियों और ठेका एजेंसियों का आरोप है कि कुछ स्थानीय समूह रोजगार और ठेका कार्यों के नाम पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं, जिससे विकास और खनन गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

प्रशासन का सख्त संदेश

पुलिस और जिला प्रशासन का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखना सभी का अधिकार है, लेकिन खदान मार्ग और सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध कर उत्पादन तथा परिवहन बाधित करना कानून सम्मत नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि खनन कार्य में बाधा डालने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने अथवा जबरन दबाव बनाने वाले तत्वों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा की उठी मांग

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें कई ऐसे चेहरे शामिल नहीं हैं जिन्हें क्षेत्र में कथित रूप से दलाली, ठेका कार्यों में हस्तक्षेप और रोजगार दिलाने के नाम पर प्रभाव बनाने वाला माना जाता है। ऐसे में सोहागपुर एरिया की रामपुर बटुरा, अमलाई, दामिनी और शारदा खदानों की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा कर वास्तविक समस्याओं तथा विवादों की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग भी उठने लगी है।

इनका कहना है...

शारदा ओसीएम गेट पर धरना देकर कोयला परिवहन कार्य बाधित किया जा रहा था। स्थिति को देखते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में 25 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग होने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

भूपेंद्रमणि पांडे
थाना प्रभारी, अमलाई

अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान नपा कर्मियों और ट्रक चालक में झड़प

मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाला मोर्चा, टला बड़ा हादसा

शहडोल। जिले के ब्योहारी नगर में आज दोपहर उस समय भारी हंगामा और तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जब नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान एक ट्रक चालक और नपा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गनीमत रही कि कार्रवाई के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल पहले से ही मौके पर मौजूद था, जिसने समय रहते त्वरित हस्तक्षेप किया और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार दोपहर लगभग 1 बजे नगर पालिका का दस्ता पुलिस बल के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान प्रसाद हार्डवेयर के पास सीमेंट खाली करने पहुंचे शानु ट्रांसपोर्ट शहडोल के ट्रक को हटाने और आगे बढ़ाने को लेकर नगर पालिका कर्मियों का चालक जयप्रकाश पटेल उर्फ देवा के साथ विवाद शुरू हो गया। चालक का कहना है कि वह वाहन आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में ही था और उसने कर्मचारियों से गाड़ी हटाने की बात कही थी, लेकिन मुहिम के दौरान उपजे तनाव के बीच देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। इस दौरान आवेश में आकर कुछ लोगों द्वारा चालक के साथ मारपीट कर दी गई, जिसमें वाहन में रखे टायर लीवर जैसी वस्तु का उपयोग किए जाने से चालक जयप्रकाश घायल हो गया।

कार्रवाई के बीच अचानक हुई इस मारपीट से मौके पर मौजूद भारी भीड़ के कारण स्थिति बेहद विस्फोटक और उग्र हो चली थी। चूंकि अतिक्रमण विरोधी मुहिम के कारण पुलिस बल पहले से ही नगर पालिका की टीम के साथ मुस्तैद था, इसलिए जवानों ने बिना एक पल गवाएं तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और आक्रोशित भीड़ को पीछे धकेला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि मौके पर पुलिस बल पहले से तैनात नहीं होता और समय पर बीच-बचाव नहीं करता, तो कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ सकती थी और वहां एक बड़ी व आत्मघाती वारदात घटित हो जाती। पुलिस ने तत्काल घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इस घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में गहरा रोष है और उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग की है, वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

14 वर्ष की मासूम के सिर से उठा मां का साया
जब अपनों ने फेर लिया मुंह, तब समाजसेवियों ने थामी अर्थी

शहडोल।

बलपुरवा-कुदरी रोड क्षेत्र से एक ऐसी हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और तथाकथित अपनों के रिश्तों पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। एक 14 साल की मासूम बच्ची के सिर से नियति ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि वह एक झटके में पूरी तरह अनाथ हो गई। पिता को पहले ही छीन चुकी मौत ने बीती रात उसकी मां को भी लील लिया।

लाश के पास रोती रही मासूम

दुख का पहाड़ यहीं नहीं टूटा, त्रासदी की इंतहा तो तब देखने को मिली जब इस बेसहारा मृतका के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी सगा-संबंधी या तथाकथित परिजन सामने नहीं आया। जब पूरा समाज और खून के रिश्तेदार मुंह फेरे बैठे थे, तब एक मासूम बच्ची अपनी माँ के शव के पास बिलख रही थी।

आगे आए शहर के सारथी

इस दर्दनाक मंजर की भनक लगते ही क्षेत्र के पार्षद और शहर के संवेदनशील समाजसेवियों ने मोर्चा संभाला। वरिष्ठ समाजसेवी रंजीत बसाक और नंदी गौ सेवा धाम की टीम ने मानवता का फर्ज निभाया। सिल्लू रजक, विकास जोतवानी, विशाल गुप्ता, शिवम चौधरी, करण कुंडे, आशु चौधरी, नितिन सूरी, प्रिंस सिंह, शंकर गुप्ता, संतोष सिंह और निखिल चौधरी जैसे जागरूक नागरिकों ने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया, बल्कि श्मशान घाट ले जाकर उस 14 साल की मासूम के कांपते हाथों से मुखाग्नि दिलवाई।

अब बच्ची के भविष्य पर बड़ा सवाल

इस रुला देने वाली घटना ने श्मशान घाट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि इस बेसहारा और अनाथ बच्ची का भविष्य क्या होगा? अंतिम संस्कार कराने वाले समाजसेवियों ने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग से तीखी अपील की है कि वे कागजी औपचारिकताएं छोडक़र तत्काल इस बच्ची के पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें, ताकि समाज में मानवता का भरोसा जिंदा रह सके।

बंधवाबड़ा जलाशय पर माफियाराज

आदिवासियों का हक मार कर फर्जी चेहरों को खैरात

12 लाख के कर्ज तले दबाकर खून चूसने की बड़ी साजिश

शहडोल।

जिले के सहकारिता विभाग और मछुआ सहकारी समितियों में चल रहा फर्जीवाड़ा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मछुआरा सहकारी समिति मर्यादित बंधवाबड़ा से शोषण और जालसाजी का जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसने पूरे प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बंधवाबड़ा जलाशय पर जल-माफियाओं और एक विशेष रसूखदार परिवार ने ऐसा शिकंजा कसा है कि जल, जंगल और जमीन के असली हकदार आदिवासी आज दाने-दाने को मोहताज हैं। समिति के प्रताड़ित और ठगे गए आदिवासी सदस्यों ने सीधे कलेक्टर की चौखट पर दस्तक देकर इस लूटतंत्र के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है।

नियमों को ताक पर रख कर हुई अपात्रों की एंट्री

कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में आदिवासियों ने जो खुलासे किए हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आरोप है कि साल 2012 से इस समिति में नियमों और तय कानूनी मापदंडों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मछुआरा वर्ग की निर्धारित श्रेणी को दरकिनार करते हुए, मुस्लिम समुदाय के ऐसे अपात्र लोगों को पिछले दरवाजे से समिति का सदस्य बना दिया गया, जिनका परंपरागत रूप से मछली पालन या मछुआरा समाज से दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है। कागजों में 15 आदिवासी और 10 मुस्लिम सदस्यों का एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार किया गया, जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं के पैसे को डकारना था।

न मुनाफा मिला, न जाल लगाने दिया

शिकायतकर्ताओं की मानें तो साल 2012 से लेकर 2022 तक, पूरे एक दशक तक समिति की कमान संभालने वाले रसूखदारों ने आदिवासियों का बर्बरतापूर्वक आर्थिक शोषण किया। आदिवासियों के पसीने की कमाई और समिति के मुनाफे की मोटी रकम पर ये रसूखदार कुंडली मारकर बैठ गए। हद तो तब हो गई, जब इन गरीब आदिवासियों को खुद उनके अपने क्षेत्र के जलाशय में मछली पकडऩे और जाल डालने तक से महरुम कर दिया गया। जब भी इन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, इन्हें रसूख के दम पर दबा दिया गया। समिति की आय और लाखों के लाभांश का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर एक ही विशेष परिवार की तिजोरियों में चला गया। पूरी समिति की रीढ़ की हड्डी और कार्यकारिणी पर आज एक ही कुनबे का कब्जा है।

अब गरीबों पर कर्ज चुकाने का हंटर

इस घोटाले का सबसे खौफनाक और आपराधिक पहलू अब सामने आया है। इन जालसाजों ने बाकी गरीब सदस्यों को पूरी तरह अंधेरे में रखकर समिति के नाम पर लगभग 12 लाख रुपये का भारी-भरकम बैंक लोन स्वीकृत करा लिया। इस लोन की रकम कहां गई, किस ऐश-ओ-आराम में उड़ाई गई, इसकी भनक तक साधारण सदस्यों को नहीं लगने दी गई और अब, जब बैंक का डंडा चला है, तो इन बेकसूर आदिवासियों पर कर्ज की राशि चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

दो साल से अंधी-बहरी बनी व्यवस्था

हैरानी की बात यह है कि पीड़ित आदिवासी 22 सितंबर 2024 से लगातार इस खेल के खिलाफ थानों और दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट तंत्र की अंधी-बहरी व्यवस्था के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब आदिवासियों का सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने कलेक्टर से दो टूक मांग की है कि समिति से तुरंत उन तमाम फर्जी और अवैध सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बीते 10 सालों में आदिवासियों के हक का जो लाभांश मारा गया है, उसकी पाई-पाई वसूल कर वापस दिलाई जाए। इस फर्जी 12 लाख के कर्ज की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को जेल भेजा जाए और समिति को इस बाहरी माफियाराज से मुक्त कर वास्तविक हकदारों को सौंपा जाए। यदि इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच नहीं की गई, तो यह तय है कि सहकारिता विभाग के बड़े अफसरों की सांठगांठ भी इस आदिवासियों के शोषण के महापाप में उजागर हो जाएगी।

विश्वविद्यालय ने बिना नोटिस 25 से अधिक अतिथि विद्वानों को निकाला बाहर

कोर्ट के स्टे की भी धज्जियां उड़ीं, अधर में 3 हजार छात्रों का भविष्य!

शहडोल। स्थानीय विश्वविद्यालय प्रबंधन इन दिनों अपनी मनमानी और तुगलकी फरमानों को लेकर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाते हुए बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित नोटिस के 25 से अधिक अतिथि और विजिटिंग फैकल्टी को अचानक नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रबंधन के इस एकतरफा और अमानवीय फैसले से प्रभावित शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई में कानून और न्यायपालिका को भी ठेंगा दिखा दिया गया है—कुछ ऐसे शिक्षक जो माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) लेकर नियमित सेवाएं दे रहे थे, प्रबंधन ने उनके कोर्ट ऑर्डर को रद्दी का टुकड़ा समझते हुए उन्हें भी नौकरी से बेदखल कर दिया है।

चहेतों को उपकृत करने का खेल!

हटाए गए अतिथि विद्वानों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि वे पूरी निष्ठा से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन प्रबंधन ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अचानक मौखिक रूप से (जुबानी फरमान सुनाकर) उन्हें काम पर आने से मना कर दिया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि इस छंटनी में भारी पक्षपात और पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है। कुछ चुनिंदा और चहेते अतिथि विद्वानों को पिछले दरवाजे से सेवा में बनाए रखा गया है, जबकि योग्य और कर्मठ शिक्षकों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीड़ित शिक्षकों ने प्रबंधन से मांग की है कि अगर वे सही हैं, तो मौखिक नौटंकी बंद करें और लिखित रूप में सेवा समाप्ति आदेश जारी कर कारण स्पष्ट करें।

3 हजार छात्रों की व्यवस्था राम भरोसे!

विश्वविद्यालय प्रशासन का यह आत्मघाती फैसला ऐसे नाजुक वक्त पर आया है जब शुक्रवार से ही स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की मुख्य परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। पुराने और नए कैंपस को मिलाकर 3000 से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य कतार में हैं। ऐसे परीक्षा काल में एक साथ 25 से अधिक अनुभवी शिक्षकों को हटाने से पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था चरमरा गई है। अब बची हुई परीक्षाओं और कॉपियों के मूल्यांकन का अतिरिक्त बोझ शेष बचे मु_ी भर नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों पर पड़ेगा। साफ है कि इस अव्यवस्था का सीधा असर परीक्षा की शुचिता और छात्रों के परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा।

कार्यकाल खत्म का राग अलाप रहा प्रबंधन

इस पूरे बवाल पर विश्वविद्यालय प्रबंधन घिसा-पिटा तर्क दे रहा है। प्रबंधन का कहना है कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के साथ ही अधिकांश कक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और इन अतिथि विद्वानों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। आगामी सत्र में जरूरत के हिसाब से इन्हें दोबारा रखने पर विचार किया जाएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब परीक्षाएं और कॉपियों को जांचने का मुख्य काम अभी बाकी है, तो कक्षाएं खत्म होने का बहाना कितना जायज है, बिना लिखित आदेश के कोर्ट के स्टे वाले कर्मचारियों को हटाना सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है। यदि इस तानाशाहीपूर्ण निर्णय को तुरंत वापस नहीं लिया गया या इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में छात्र और संगठन मिलकर विश्वविद्यालय परिसर में उग्र आंदोलन छेड़ सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

बिना रायल्टी चोरी की रेत से हो रहा 21 लाख का निर्माण

खोहरा बेनाधार में भ्रष्टाचार का घाट

सरपंच-सचिव और वेंडर की जुगलबंदी उजागर

शहडोल।

सरकार चाहे शुचिता के जितने भी ढोल पीट ले, लेकिन जनपद पंचायत बुढ़ार की ग्राम पंचायत खोहरा बेनाधार में विकास कार्यों के नाम पर लूटतंत्र हावी है। यहां जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए सरपंच, सचिव और वेंडर ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा त्रिकोण बनाया है, जो तकनीकी मापदण्डों और सरकारी कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। मामले की परतें खुलीं तो साफ हुआ कि यहां मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ एवं अवसंरचना योजना के तहत स्वीकृत ?21 लाख 45 हजार की लागत से बनने वाले तालाब घाट निर्माण में खुलेआम धांधली का खेल चल रहा है।

जीएसटी का खेल, चोरी की रेत

इस पूरे महाघोटाले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू निर्माण सामग्री की सप्लाई है। जिले में जब रेत खदानें वैध रूप से संचालित ही नहीं हैं, तो फिर घाट निर्माण के लिए धड़ल्ले से रेत कहां से आ रही है, इस निर्माण कार्य के लिए सामग्री सप्लाई का जिम्मा गुप्ता ट्रेडर्स ग्राम मौहारटोला, पोस्ट साखी को दिया गया है। कागजों का पेट भरने के लिए इस फर्म से रेत भाड़े के नाम पर 5 गाड़ी का 12,500 का बिल तो लगा दिया गया, लेकिन जब सच खंगाला गया तो इस फर्म के संचालक ने खुद हाथ खड़े कर दिए। वेंडर का साफ कहना है कि रेत कहां से आई, यह तो पंचायत के सरपंच और सचिव ही बता सकते हैं। हमने तो सिर्फ बिल थमाया है। पंचायत ने रेत स्थानीय ट्रैक्टर संचालकों से उठवाई है। साफ है कि पंचायत और वेंडर की आपसी सांठ-गांठ से सिर्फ एक जीएसटी फर्म को जरिया बनाकर फर्जी बिलिंग का खेल रचा गया है। जब मौके पर और कागजों में रेत की वैध रायल्टी ही मौजूद नहीं है, तो यह प्रमाणित करता है कि यहाँ ऑन-रिकॉर्ड चोरी के खनिज (अवैध रेत) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

ग्रामीणों को अंधेरे में रखने की साजिश

भ्रष्टाचार की इस पूरी इबारत को छिपाने के लिए ग्राम पंचायत ने एक और शातिराना तरीका अपनाया है। नियमानुसार किसी भी सरकारी निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले वहां प्राक्कलन (स्टीमेट) बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ताकि आम जनता को पता चल सके कि कार्य की लागत क्या है, निर्माण एजेंसी कौन है और तकनीकी मापदंड क्या हैं। परंतु खोहरा बेनाधार तालाब घाट पर ऐसा कोई बोर्ड दूर-दूर तक नजर नहीं आता। सरपंच-सचिव ने जानबूझकर निर्माण स्थल को गोपनीय बनाकर रखा है ताकि ग्रामीणों को भनक तक न लगे कि उनकी पंचायत में कितने लाख का डाका डाला जा रहा है।

आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की नौबत

एक तरफ जहां वित्तीय अनियमितताओं की बाढ़ आई हुई है, वहीं दूसरी तरफ निर्माण की गुणवत्ता से भी बदस्तूर समझौता किया जा रहा है। घटिया सामग्री और बिना तकनीकी मापदंडों के बन रहा यह घाट पहली ही बारिश में भरभरा कर ढह जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो बिना रायल्टी के अवैध रेत का उपयोग करने, फर्जी बिलिंग के सहारे सरकारी राशि का आहरण करने और वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में सरपंच, सचिव और संबंधित वेंडर (गुप्ता ट्रेडर्स) के खिलाफ सीधे तौर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का पुख्ता आधार बनता है।

वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी पर उठते सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न जनपद और जिला स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर उठता है। पंचायतों में लगातार हो रहे इन घोटालों की शिकायतें होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उपयंत्री (सब-इंजीनियर) और वरिष्ठ अधिकारियों का इस भ्रष्टाचार को मौन संरक्षण प्राप्त है? अगर इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए, तो भ्रष्टाचार का यह पूरा पुलिंदा बेनकाब होना तय है और इसके मुख्य सूत्रधारों को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है।

मानपुर में सामुदायिक वन अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

उमरिया। जनपद पंचायत सभागार मानपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार तथा धारा 3(1)(प) में वर्णित सामुदायिक वन संसाधन एवं उसके प्रबंधन संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकारों, सामुदायिक वन संसाधनों की पहचान, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर वन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र समुदायों को उनके वैधानिक अधिकारों का लाभ सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण में कार्यक्रम में अनुविभागीय दंडाधिकारी मानपुर, अंबिकेश प्रताप सिंह , सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग पूजा द्विवेदी,अनुविभागीय वन अधिकारी कुलदीप नारायण त्रिपाठी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मानपुर अंकित सिरोठिया सहित सभी मास्टर ट्रेनर, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की समीक्षा बैठक संपन्न

उमरिया।

राखी सहाय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 की मार्च 2026 तिमाही की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सेवक राम सोनवानी ने जिले की बैंकिंग एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने लीड बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से संचालित वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और जिले की वार्षिक साख योजना की उपलब्धियों की जानकारी दी।

कलेक्टर ने जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकों को अधिक ऋण वितरण करने तथा जिले की क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो को 40 प्रतिशत से अधिक करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से आईसीआईसीआई बैंक को शाखा स्तर के जमा एवं ऋण संबंधी आंकड़े समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की जानकारी न छिपाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, अधिक नामांकन और दावों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने और आमजन को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों और बैंकर्स को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। विभागों को बैंकर्स के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों की पूर्ति दिसंबर 2026 से पहले सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 5,405 आरआरसी प्रकरणों में लगभग 63.37 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। इस पर कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रायोरिटी सेक्टर ऋणों में लगभग 13 प्रतिशत एनपीए की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को ऋण वसूली में सहयोग करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहार्य प्रकरण बैंक शाखाओं को भेजने के निर्देश दिए गए।वार्षिक साख योजना 2025-26 की समीक्षा में बताया गया कि जिले ने कृषि क्षेत्र में 104 प्रतिशत, एमएसएमई क्षेत्र में 95 प्रतिशत तथा प्रायोरिटी सेक्टर में 103 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति दर्ज की है। कलेक्टर ने इन उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रगति बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक तरुण कुमार ने संस्थान द्वारा युवाओं को स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण के लिए लीड बैंक को लगातार 'ए' ग्रेडिंग मिलने पर कलेक्टर ने विशेष प्रशंसा व्यक्त की।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से श्रवण कुमार, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हिमांशु शुक्ला, एसबीआई आरसेटी के निदेशक तरुण कुमार, जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधक, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्व क्लब फुट दिवस पर जिला अस्पताल में विशेष शिविर आयोजित

7 बच्चों को मिला लाभ

उमरिया।

विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल उमरिया में क्लबफुट (टेढ़े पैर) से प्रभावित बच्चों एवं उनके परिजनों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में इस जन्मजात विकृति की समय पर पहचान एवं शीघ्र उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस. चंदेल ने कहा कि क्लबफुट का समय पर उपचार होने पर बच्चों के पैर पूरी तरह सामान्य हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कई बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है और वे अब सामान्य बच्चों की तरह सभी गतिविधियों में भाग लेते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शिविर में कुल 7 बच्चे उपस्थित हुए, जिनमें एक बच्चे की कास्टिंग (प्लास्टर) की गई तथा 6 बच्चों को क्लबफुट उपचार हेतु विशेष जूते प्रदान किए गए। वर्तमान में जिले के 29 बच्चे क्लबफुट उपचार कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि जिले की 785 आशा कार्यकर्ताओं को क्लबफुट की पहचान एवं रेफरल प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया गया है। आशा, एएनएम एवं अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों की प्रारंभिक पहचान कर उन्हें समय पर उपचार केंद्र तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों की नियमित काउंसलिंग भी की जा रही है। अनुष्का फाउंडेशन फॉर एलिमिनेटिंग क्लबफुट के सहयोग से जिला अस्पताल में प्रशिक्षित चिकित्सकों, आवश्यक उपकरणों तथा व्यवस्थित फॉलो-अप व्यवस्था के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में सिविल सर्जन एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. कैलाश चंद सोनी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ऑल इंडिया अमरकंटक ट्रेक कैंप में गूंजा राष्ट्रीय एकता का संदेश

पांच राज्यों के 510 एनसीसी कैडेटों ने प्रकृति, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के संगम का लिया अनुभव

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक।

मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले में स्थित पवित्र एवं प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध अमरकंटक की वादियों में आयोजित ऑल इंडिया अमरकंटक ट्रेक कैंप 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। मैकल पर्वत श्रृंखला पर स्थित अमरकंटक, जहां विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं का अद्भुत संगम होता है तथा जहां से जीवनदायिनी मां नर्मदा का उद्गम होता है, वहां आयोजित इस राष्ट्रीय शिविर ने देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं को एकता, अनुशासन, साहस और सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा अनुभव प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित ट्रेक कैंप तीन चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण 1 जून से 8 जून, द्वितीय चरण 9 जून से 16 जून तथा तृतीय चरण 17 जून से 24 जून तक संचालित होगा। शिविर का आयोजन ब्रिगेडियर रितेश बहल (ग्रुप कमांडर, जबलपुर) के मार्गदर्शन तथा लेफ्टिनेंट कर्नल एके शर्मा (ऑफिसर कमांडिंग, 7 एमपीओ (ई) कंपनी एनसीसी शहडोल) एवं लेफ्टिनेंट कर्नल अमन प्रीत सिंह (ऑफिसर कमांडिंग, 24 एमपी बटालियन एनसीसी छिंदवाड़ा) के नेतृत्व एवं देखरेख में किया गया। शिविर के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आए लगभग 510 एनसीसी कैडेटों तथा 15 एनसीसी अधिकारियों ने सहभागिता की। कैंप के शुभारंभ अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल एके शर्मा ने कैडेटों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उन्हें शिविर के उद्देश्यों से अवगत कराया।

प्राकृतिक एवं धार्मिक धरोहरों से हुआ परिचय

शिविर के दौरान कैडेटों ने अमरकंटक की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का भ्रमण किया। उन्होंने नर्मदा उद्गम मंदिर, जैन मंदिर, यंत्र मंदिर, माई की बगिया, सोनमुड़ा, दुर्गा धारा, कबीर चबूतरा, कपिल धारा, दूध धारा तथा शंभू धारा जैसे प्रमुख स्थलों का अवलोकन किया। ट्रेकिंग गतिविधियों के माध्यम से युवाओं ने न केवल प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद लिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संवर्धन का संकल्प भी लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बढ़ाया आपसी सौहार्द

प्रतिदिन सायंकाल आयोजित सांस्कृतिक संध्याओं में विभिन्न राज्यों से आए कैडेटों ने अपने-अपने प्रदेशों की लोक संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, नाटक एवं रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता का परिचय कराया। इन कार्यक्रमों ने युवाओं को विभिन्न राज्यों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और जीवन शैली को निकट से समझने का अवसर प्रदान किया। शिविर में सहभागी कैडेटों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे और पारस्परिक सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया गया। युवाओं में जागृत हुआ राष्ट्र निर्माण का संकल्प

कैंप के समापन अवसर पर अधिकारियों ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय शिविर युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम को नई दिशा प्रदान करते हैं। अमरकंटक की पावन धरती पर आयोजित यह ट्रेक कैंप न केवल साहसिक गतिविधियों का केंद्र रहा, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश देने वाला आयोजन भी सिद्ध हुआ। ऑल इंडिया अमरकंटक ट्रेक कैंप 2026 ने देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए यह सिद्ध कर दिया कि विविधताओं से भरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है।

मंगल भवन का विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया भूमि पूजन

हरिभूमि न्यूज कोतमा।

जनपद पंचायत कोतमा अंतर्गत ग्राम पंचायत लामाटोला में जनजातीय समाज के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बनने वाले मंगल भवन का विगत दिनों विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन के मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा किया गया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह मंगल भवन क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजनों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों और जनसेवा के संकल्प को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं ग्रामवासियों का आत्मीय स्नेह एवं सहयोग प्राप्त हुआ।

खबर संक्षेप

सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 15 से 18 जून तक उमरिया में

उमरिया। जिले में राज्य स्तरीय सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 जून 2026 तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में बालक अंडर-15, बालक अंडर-17 तथा बालिका अंडर-17 आयु वर्ग की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन की तैयारियों एवं सफल संचालन के लिए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न संभागों से खिलाड़ी, प्रशिक्षक तथा अधिकारी शामिल होंगे। प्रतियोगिता की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय करेंगी, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी जिम्मेदारी निभाएंगे। आयोजन को सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं। गठित समितियों के सभी प्रभारी एवं सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता के अनुसार आवास व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी पूर्व सूचना संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतियोगिता की तैयारियों के मद्देनजर शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 जून 2026 को प्रातः 11 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उमरिया में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नाबालिक से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अनूपपुर। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी प्रियांसू जायसवाल पिता कैजू उर्फ कंजू जायसवाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चाका थाना व तहसील कोतमा ने फोन के माध्यम से अभियोक्त्री से जान पहचान कर उसे अपने घर बुलाकर शादी करने का कहकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया और आष्वासन देकर कई बार गलत काम किया। अभियोक्त्री जब 02 माह की गर्भवती हो गयी तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अभियोक्त्री ने थाना कोतमा में लिखित शिकायत की। उक्त अपराध के संबंध में थाना कोतमा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 178/2026 अंतर्गत धारा धारा 64 (1), 64 (2) (ड) बी.एन.एस. 2023, धारा 3 (2) (5) एस.सी.एस.टी. एक्ट एवं धारा 5, (6) पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया और आरोपी को 14 मई को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी की ओर से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा डागलिया के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी प्रियांषू जायसवाल की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर निरुद्ध है।

50 वर्षीय अधेड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

कोतमा। कोतमा थाना अंतर्गत समीपी गांव बुढानपुर मे 50 बर्षीय अधेड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बारे मे मिली जानकारी अनुसार बुढानपुर गांव निवासी गणेश गणेश कोल उर्फ बबलू पिता स्वर्गीय सीता रमैया उम्र लगभग 50 वर्ष ने बुधवार की देर शाम अपने घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली घटना की जानकारी लगते ही परिजनों के द्वारा थाने में सूचना दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार कर पी एम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की विवेचना मे जुट गई है।

नगर पालिका नें की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

कोतमा। नगर के वार्ड क्रमांक 7 बनिया टोला में मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए सूअर के मांस की बिक्री खुलेआम की जा रही है। जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय नागरिकों एवं आवागमन करने वाले लोगों के द्वारा की गई थी। मुख्य मार्ग में सड़क किनारे खुलेआम सुअर मांस की बिक्री किए जाने के कारण आसपास दुर्गंध फैली रहती है साथ ही वहां से निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दो तीन पूर्व नगर पालिका का हमला अवैध रूप से अधिक्रमण एवं खुलेआम मांस की बिक्री हो रही हो पर रोक लगाने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा था एक दुकान ही अतिक्रमण मुक्त करवाई गई थी और विरोध होने पर नगर पालिका अमला वापस लौट आया था। गुरुवार को नगर पालिका का राजस्व एवं सफाई अमले के साथ ही पुलिस अमले के साथ पहुंचकर जेसीबी मशीन से तीन दुकानों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया कुछ लोगों ने सहमति से दुकान हटा लिया हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन उनकी नपा अमले ने एक नही सुनी।

खबर संक्षेप

18 जून को समान नागरिक संहिता के अध्ययन हेतु समिति की जन-परामर्श बैठक

उमरिया। समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह की अध्यक्षता में जन-परामर्श बैठक का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से जिला पंचायत सभागार, उमरिया में आयोजित होगी। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने बैठक के सफल आयोजन एवं समन्वय के लिए संयुक्त कलेक्टर अमित सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जन-परामर्श बैठक की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए हैं। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 18 जून को आयोजित होने वाली जन-परामर्श बैठक के लिए सौंपे गए दायित्वों का आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि बैठक का आयोजन सुचारु रूप से संपन्न हो सके।यह बैठक समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जनमत एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर अमरकंटक के शंभूधारा में आयोजित होगा कार्यक्रम

अमरकंटक। राज्य शासन के निर्देशानुसार आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पवित्र नगरी अमरकंटक के शंभूधारा जलाशय के समीप जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा जारी आदेश के तहत इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान का व्यापक संचालन किया जाएगा। कार्यक्रम के गरिमामय और सुचारू निष्पादन हेतु वनमण्डलाधिकारी डेविड व्यंकटराव चनाप को नोडल अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमरकंटक चैन सिंह परस्ते को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है।

बाड़ी में लहलहा रहे थे गांजे के पौधे, पुलिस ने की कार्रवाई

कटनी। माधवनगर पुलिस ने ग्राम गैतरा में एक व्यक्ति को अवैध रूप से गांजे की खेती करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 किलो 600 ग्राम वजन के हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहेरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 31 मई को पुलिस टीम गश्त के दौरान ग्राम गैतरा पहुंची, जहां सोनेलाल पटेल 68 वर्ष अपनी बाड़ी में गांजा के पौधे लगाए हुए था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने गांजा के पौधे लगाने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए खेत में लगे गांजा के पौधों को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल कटनी भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राजेश बागरी, प की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हादसे में घायल युवक ने इलाज दौरान दम तोड़ा

कटनी। कुठला थाना अंतर्गत लमतरा रेलवे ब्रिज के ऊपर हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल कन्हवारा निवासी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पारस मणि कुशवाह 31 वर्ष बीते 7 मई की रात करीब लमतरा रेलवे ब्रिज के ऊपर दुर्घटना का शिकार हो गया था। सड़क हादसे में आई गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया।

तीन किलोमीटर दूर पार्षद का घर, समस्याओं के समाधान के लिए भटक रहे वार्ड 17 के लोग

उपाध्यक्ष का वार्ड बेहाल : वादों से दूर, बढ़ती समस्याओं से जनता परेशान

संपत्ति कर बढ़ा, सुविधाएं घटीं : बरसात से पहले वार्ड 17 की सड़कें, नालियां और सफाई व्यवस्था सवालों में

धनपुरी। धनपुरी नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 17 हमेशा किसी न किसी कारण से चर्चा में बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नगर पालिका धनपुरी के नगर पालिका के उपाध्यक्ष इसी वार्ड से पार्षद हैं। नगर पालिका चुनाव के दौरान वार्ड के विकास, साफ-सफाई, बेहतर सड़कें, नालियों की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कई बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन चार वर्षों का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी वार्ड की स्थिति देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उन वायदों का कितना पालन हुआ।

वार्ड का भ्रमण करने पर विकास के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। जगह-जगह टूटी सड़कें, गंदगी से भरी नालियां, सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति और बढ़ती नागरिक समस्याएं इस वार्ड की पहचान बनती जा रही हैं। नागरिकों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन आज तक अधिकांश समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सबसे अधिक चर्चा का विषय यह भी है कि वार्ड 17 के पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष का निवास इस वार्ड में न होकर वार्ड क्रमांक 3 में है, जो लगभग तीन किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में यदि वार्ड के लोगों को किसी समस्या को लेकर पार्षद से संपर्क करना हो तो उन्हें लंबी दूरी तय कर उनके घर जाना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे आम जनता को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है।

वार्डवासियों का कहना है कि यदि पार्षद वार्ड में अधिक समय देते और लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझते, तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लोगों के अनुसार कई बार शिकायतें करने के बाद भी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। कुछ काम शुरू होते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, जबकि कई समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। इधर नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर में की गई वृद्धि ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि सुविधाएं पहले से बेहतर होने के बजाय और खराब हो रही हैं, जबकि टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि संपत्ति कर के नाम पर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं तक ठीक से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। वार्ड में आवारा पशुओं की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक मवेशियों का जमावड़ा आम बात हो गई है। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी नगर पालिका इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। बरसात का मौसम नजदीक आते ही लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वार्ड की कई नालियां गंदगी से भरी हुई हैं और उनकी सफाई समय पर नहीं हुई है। कई स्थानों पर नालियां टूटी हुई हैं, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते सफाई और मरम्मत कार्य नहीं किया गया तो बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति बन सकती है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होने के साथ-साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। वार्ड की सड़कों की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश शुरू होने के बाद यह स्थिति और खतरनाक हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। कुछ जगहों पर अस्थायी मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़कें फिर खराब हो जाती हैं।

स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वार्ड के कई हिस्सों में नियमित रूप से कचरा उठाव नहीं हो रहा। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियों से बदबू आ रही है। नगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान चलाने और दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखवाने के बावजूद वार्ड 17 में सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नागरिकों का कहना है कि केवल प्रचार और नारों से वार्ड साफ नहीं होगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष होने के नाते हनुमान खंडेलवाल को अपने वार्ड की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में वार्ड की स्थिति और खराब हो सकती है। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि बरसात से पहले नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, आवारा पशुओं पर नियंत्रण और नियमित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर पालिका और वार्ड के जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते रहेंगे या फिर वास्तव में वार्ड 17 की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि चार वर्षों बाद भी यदि नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा रोड़ पर गलत साइड खड़ा ट्रक कर रहा यातायात बाधित

ब्योहारी। ब्योहारी में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है जैसा कि आऐ दिन बीच सड़क पर लम्बे ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग शहडोल सीधी रीवा चूंगी नाका स्थित रीवा रोड़ पर हमेशा देखा जाता है कि बीच सड़क पर किराना दुकानदार के द्वारा किराना सामान लम्बे ट्रक में आता है जो गलत दिशा ट्रक बीच सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात वाधित कर पार्किंग बना कर दूसरे दुकानदार के दुकान के सामने खड़ा लोडिंग अनलोड करते रहते अगर दुकानदार अपने दुकान के सामने से किनारे वाहन खड़ा करने के लिए बोलते तो उन दुकानदार से झगड़ने लगते फिर किराना दुकानदार ऐसा बोल बचन देता है कि सड़क व प्रशासन साथ ही पुलिस प्रशासन को अपना जिगीर समझ लिया हो जबकि उसी रीवा रोड़ स्थित तहसील कार्यालय व मजिस्ट्रेटी न्यायालय का रास्ता और पुलिस प्रशासन वाहन आना

जाना रहता है लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल नहीं सकता क्योंकि यहां यातायात व्यवस्था चरमरा गई इसी कारण आऐ दिन कोई कोई सड़क दुघर्टना बढ़ी हुई है जैसा पिछले माह कई घटनाएं घटित हुई है पर फिर प्रशासन कि नींद नहीं खुली लगता है इस तरह सड़कों में लोगों के द्वारा वाधित कर पार्किंग बना है राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा शहडोल चूंगी नाका स्थित अव्यास्था रहीं तो बड़ी घटनाएं घटित होने से बचा नहीं जा सकता लोगों कि जान व किसी दुकानदार के दुकान में अन्दर वाहन घुस जाएगा जबकि पिछले दिनों एक दुकानदार के दुकान में घुस गया था एक नाबालिग लड़का कि मृत्यु हो गई थी इसी तरह नगर परिषद व नगर प्रशासन साथ ही पुलिस प्रशासन घटना का इन्तजार कर रहा है* नगर परिषद क्षेत्र जनप्रतिनिधि व आम जनता कि जिला प्रशासन से मांग करती कि ब्योहारी में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है उसे सुधार कर और सड़क के बीच वाहनों को नहीं खड़ा होने दें और सड़क किनारे पार्किंग होने से रोका जाए।

साखी के जंगलों में हो रहा जंगली जानवरों का शिकार

ब्यौहारी। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम साखी जो कि उपवन मंडल ब्यौहारी- के पूर्वी रेंज के अंतर्गत आता है वहां वन विभाग का मैदानी अमले के निष्क्रियता के कारण शिकारियों प्रतिदिन जंगली जानवरों को करंट लगाकर मरा जा रहा है और कोई आला अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं वन्य प्राणियों के साथ क्या हो रहा है जबकि परमानेंट करंट लगाकर मारे जाते हैं अभी देखने के लिए यहां कई जगह लाइन लगाकर लकडी की खूटी गडाकर करंट से जानवर लगातार मारे जाते हैं ग्राम साखी के मऊहार टोला के दो बांध सेमरिहा और छपरिहा में बेमौसम हुई बारिश के कारण पानी भर गया और अब भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए जंगली जानवर यहां आ जाते हैं इसी का फायदा उठाकर शिकारियों द्वारा यहां पर करंट लगाकर शिकार किया जा रहा है हमारे संवाददाता जब वहां पहुंचे तो खूंटी और तार लगा पाया गया एवं जंगली सूअर के कई पैरों के निशान भी पाए गए इसका मतलब कि शिकारियों द्वारा कुछ सवारों को अपने करंट में फंसा कर जब उनकी मौत हो गई तो शिकार करके घर ले गए सखी बीट में पदस्थ बीट गार्ड को कई महीनो से नहीं देखा गया है इसी तरह से फॉरेस्टर भी कभी दिखाई नहीं देते इस कारण से शिकारी के हौसले दिनों दिन बूलंद होते जा रहे हैं क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहे शिकारी के खिलाफ अभियान चला कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है।

जिला स्वच्छता समिति में पाली से एड सुशांत सक्सेना भी

बिरसिंहपुर पाली। उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में जिले में गठित स्वच्छता समिति में पाली नगर से विव्दान अधिवक्ता सुशांत सक्सेना को शामिल किया गया है। आप का चयन बतौर सदस्य के रूप में किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष जिले के कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगें। इसके साथ ही जिले के तीनों जनपद पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी, पांचों नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी , छहों महाविद्यालय के प्राचार्य, शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारी के साथ सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों के पार्षद,जनपद सदस्य,एल्डर मैन और कुछेक सरपंचो से दो गणमान्य नागरिकों को पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस कड़ी में पाली नगर से पार्षद श्री मती प्रमिला जगवानी वार्ड नं 06 और एल्डर मैन सुशांत सक्सेना जी का चयन किया गया है। यह चयन सक्सेना जी के सामाजिक गतिविधियों की सक्रिय कार्य कुशलता , ईमानदार छबि , स्पष्ट वादिता, और कौशल के कारण की गयी है। श्री सक्सेना जी का जिले की इस समिति में चयन उनके योग्यता को प्रर्दशित करती है। इस चयन पर उनके इष्ट मित्रों ने हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की है।

गरुड़ पोर्टल से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की होगी केंद्रीकृत रीयल-टाइम मॉनिटरिंग

पारदर्शिता एवं संचालन की दक्षता में होगा उल्लेखनीय सुधार

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। गरुड़ पोर्टल से प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जायेगी। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के संचार के साथ संचालन की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे सीवेज प्रबंधन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा और समय पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है। मध्यप्रदेश में अपनी तरह की यह प्रथम केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली है, जो वास्तविक समय में डेटा ट्रैकिंग के साथ-साथ उत्कृष्ट परिचालन निरीक्षण एवं त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सशक्त बनाती है। इस युगांतरकारी व नवाचारपूर्ण पहल से राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जल गुणवत्ता के संवर्धन एवं नगरीय स्वच्छता के संकल्प को अभूतपूर्व मजबूती मिलने की पूर्ण अपेक्षा है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि विभाग के अंतर्गत संचालित कुल 42 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में अत्याधुनिक एससीएडीए प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित व लागू कर दिया गया है। विदित हो कि पूर्व में इन संयंत्रों से प्राप्त होने वाला डेटा केवल संबंधित एसटीपी परिसर तक ही सीमित रहता था, जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था की समग्र निगरानी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किंतु, इस नूतन प्रणाली के क्रियान्वयन से अब बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, पीएच एवं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे सभी प्रमुख जल गुणवत्ता मापदंडों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी तकनीकी पैमानों की निगरानी अब यूएडीडी कार्यालय के गरुड़ पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत रूप में की जा रही है, जिसके फलस्वरूप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रदर्शन पर अनवरत एवं प्रभावी दृष्टि रखी जा सकेगी। मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 52 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हैं, जिनमें यह उन्नत एससीएडीए एवं ओसीईएमएस प्रणाली कार्यरत है। विभाग द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शेष 12 एसटीपी का डेटा भी लगभग 30 अप्रैल 2026 तक गरुड़ पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे राज्य के सभी प्रमुख एसटीपी एक ही डिजिटल पटल पर पूर्णतः एकीकृत हो सकेंगे।

शहरी से लेकर ग्रामीण अंचलों में देशी एवं कच्ची शराब का अवैध कारोबार

गली कूचों में अवैध बिक्री के साथ ही ढाबा टपरों एवं ठेलों में भी परोसी जा रही शराब

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले में देशी एवं कच्ची शराब का अवैध चल रहा है। शराब की तस्करी भी बेरोकटोक हो रही है। हद तो यह है कि ढाबा, चायपान के ठेलों एवं टपरों तक में शराब परोसी जा रही है। शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को मानो कानून का कोई भय ही नहीं रहा। हालांकि पुलिस द्वारा शराब की अवैध बिक्री एवं तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है लेकिन व नाकाफी साबित हो रही है। पुलिस की कार्यवाही छुटभैया ही तक रहती है जबकि माफिया बेखौफ हैं।

एनकेजे पुलिस ने 63 लीटर अवैध देशी प्लेन मशाला शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब का परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक स्कूटी से अवैध शराब लेकर झलवारा से हिरवारा की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी को रोका और तलाशी ली। जांच में स्कूटी पर रखे सात कार्टूनों में 63 लीटर देशी प्लेन मशाला शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सतीष चौधरी और विकाश चौधरी निवासी झर्रा टिकुरिया कटनी बताए। दोनों आरोपी शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने करीब 30 हजार रुपये मूल्य की शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त टीवीएस जुपिटर स्कूटी जब्त कर ली।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने यहां से शराब की जब्त

बाकल पुलिस ने अलग-अलग स्थान से देशी कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार ग्राम खजूरी निवासी रूपबाई यादव के पास से चार लीटर कच्ची महुआ शराब एवं पार्वती यादव के पास से चार लीटर कच्ची शराब जप्त की गई है। इसी तरह ग्राम खुर्शी निवासी विनोद यादव के पास से 16 पाव देसी प्लेन शराब बरामद की गई। उधर बरही पुलिस ने ग्राम हर्रवाह निवासी नत्थी यादव के पास से 18 पाव देसी प्लेन शराब बरामद की है वही ग्राम मिड़की निवासी राजकुमार कोल के पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ही ग्राम नदावन निवासी संतरा चौधरी के पास से 15 पाव देसी प्लेन शराब बरामद की गई। बहोरीबंद पुलिस ने ग्राम ककरहटा निवासी नंदू उर्फ नंदकुमार बर्मन के पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की। वहीं ग्राम नीमखेड़ा निवासी वीर सिंह के पास से 18 पाव देशी शराब बरामद की गई। कूड़न निवासी अनंत राम विश्वकर्मा को 15 देसी शराब के साथ पकड़ा गया।

ढाबा व टपरा में पिला रहे थे शराब

कुठला पुलिस ने ग्राम मझगवां फाटक स्थित सियाराम ढाबा में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पिलाने पर कार्यवाही की गई। पुलिस ने निक्की वंशकार के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मझगवां फाटक क्षेत्र के ही चाय नाश्ता के टपरे में भी लोगों को बैठकर शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की। इस मामले में सचिन तिवारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुरैनी में अंडा के टपरा में लोगों को बैठकर शराब पिलाई जा रही थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुये अंकित खरे के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है।

सात दिवस में फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करने के निर्देश

उमरिया। जिले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के खंड-4 के अनुसार किसी भी भवन में अधिभोग (उपयोग) से पूर्व फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी प्लान के अनुमोदन तथा फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा पंजीकृत फायर कंसल्टेंट के माध्यम से ई-नगरपालिका पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपर कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में यह भी आया है कि जिले में संचालित कई होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के अनुरूप अग्निशमन उपकरणों का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे आगजनी की स्थिति में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) बांधवगढ़, मानपुर एवं पाली को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, विद्यालय, महाविद्यालय तथा छात्रावासों का सघन निरीक्षण करें। साथ ही संबंधित संस्थानों के फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्रों की जांच कर सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

खबर संक्षेप

कपिलधारा कालोनी बिजुरी में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन

बिजुरी। वार्ड क्रमांक 7 स्थित शिव मंदिर कपिलधारा कॉलोनी में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण व्याख्यान माला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 1 जून से प्रारंभ हुई इस आध्यात्मिक कथा का रसपान चित्रकूट धाम से पधारे मनीषी आचार्य रमाशंकर जी महाराज के श्रीमुख से कराया जा रहा है। आचार्य श्री की ओजस्वी वाणी, सरल एवं भावपूर्ण कथावाचन तथा भक्ति रस से परिपूर्ण प्रस्तुति श्रोताओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और धर्म, भक्ति एवं संस्कारों का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। कथा आयोजन के अंतर्गत आज कृष्ण जन्मोत्सव का विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की झांकी, भजन-कीर्तन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। वहीं 7 जून को कथा का समापन होगा तथा 8 जून को पूर्णाहुति एवं विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। शिव मंदिर समिति, कपिलधारा कॉलोनी ने नगरवासियों एवं आसपास के सभी सनातन धर्मावलंबियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण, पूर्णाहुति एवं महाभंडारे में सहभागिता निभाने की अपील की है। समिति का कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

उमानिया गांव में महावारी स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अनूपपुर। ग्राम उमानिया के राधाकृष्ण मंदिर परिसर में महावारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रणाम नर्मदा युवा संघ के इंटर्न्स गुंजा साहु, अलंकृता आहूजा और वर्षा बघेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान इंटर्न्स ने महिलाओं को महावारी के समय स्वच्छता बनाए रखने, सेनेटरी पैड के सही उपयोग तथा संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया गया कि सही जानकारी और साफ-सफाई से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। इस जागरूकता कार्यक्रम में गांव के लगभग 50 महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि इसमें पुरुषों की भागीदारी भी देखने को मिली, जिससे यह संदेश गया कि महावारी केवल महिलाओं का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बच्चों द्वारा एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखने की मांग की। प्रणाम नर्मदा युवा संघ के इंटर्न्स का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जमाखोरी कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर चलेगा प्रशासनिक डंडा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती खरीद पर सरकार सख्त

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की असामान्य बिक्री और संभावित जमाखोरी को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर पेट्रोल-डीजल की खरीद, भंडारण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ नियंत्रण से लेकर प्लास्टिक के डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक और कालाबाजारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसी भी स्थिति में ईंधन संकट की अफवाह या कृत्रिम कमी नहीं बनने देगी। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई स्पीड पेट्रोल-डीजल की बिक्री में अचानक आई बढ़ोतरी ने सरकार और तेल कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 26 मई को सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पत्र में बताया गया है कि कई बल्क उपभोक्ता, जिन्हें सीधे तेल कंपनियों से पेट्रोल-डीजल लेना चाहिए, वे खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल खरीद रहे हैं। इससे सामान्य उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पेट्रोल-डीजल की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने या भविष्य की संभावित परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निगरानी बढ़ाने, भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि ईंधन व्यवस्था को सुरक्षित रखने की रणनीतिक पहल माना जा रहा है।

पेट्रोल-डीजल की असामान्य बिक्री ने बढ़ाई सरकार की चिंता

पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में संकेत मिला है कि पेट्रोल-डीजल की बिक्री सामान्य मांग से अधिक दर्ज की जा रही है। कई ऐसे उपभोक्ता जो बल्क श्रेणी में आते हैं, वे निर्धारित व्यवस्था को छोड़कर खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे हैं। इससे वितरण तंत्र पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। सरकार को आशंका है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि जिला प्रशासन को तत्काल निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध खरीद की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

बल्क उपभोक्ताओं पर विशेष निगरानी का आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन संस्थानों या उपभोक्ताओं का पेट्रोल-डीजल उपभोग बड़े पैमाने पर होता है, उन्हें बल्क श्रेणी में ही खरीद सुनिश्चित करनी होगी। प्रशासन को ऐसे उपभोक्ताओं की बैठक बुलाकर नियमों का पालन कराने को कहा गया है। अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो यह कदम केवल नियंत्रण का प्रयास नहीं बल्कि ईंधन वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने की जरूरत है। यदि बड़े उपभोक्ता खुदरा बाजार में उतरेंगे तो आम लोगों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल बिक्री पर सख्ती

सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि प्लास्टिक के डिब्बों या असुरक्षित कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। यह निर्णय सुरक्षा कारणों के साथ-साथ अवैध भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर बड़े पैमाने पर जमाखोरी छोटे-छोटे कंटेनरों के माध्यम से की जाती है। प्रशासन का मानना है कि यदि खुले तौर पर डीजल संग्रहण पर अंकुश लगाया गया तो कालाबाजारी की संभावनाएं स्वतः कम हो जाएंगी। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पेट्रोल पंपों पर भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था की चुनौती

राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी अफवाह, आशंका या अनिश्चितता के कारण लोग बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने के लिए पहुंच सकते हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से स्थिति नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार केवल आपूर्ति पर नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों पर भी नजर बनाए हुए है।

जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट संदेश

आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का संकेत है। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संपादकीय दृष्टिकोण से यह संदेश केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार में भरोसा कायम रखने का प्रयास भी है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ईंधन जैसी आवश्यक वस्तु को लेकर कृत्रिम संकट पैदा न हो और कोई भी तत्व परिस्थितियों का अनुचित लाभ न उठा सके। मध्यप्रदेश सरकार का यह आदेश बताता है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती मांग को केवल व्यापारिक गतिविधि नहीं बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से भी गंभीरता से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की सक्रियता ही तय करेगी कि यह अभियान जमाखोरी और कालाबाजारी पर कितना प्रभावी अंकुश लगा पाता है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है ईंधन व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई ढील नहीं होगी।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला फरार आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

थाना बिजुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती आरती शाक्य के कुशल मार्गदर्शन में फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना बिजुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2025 से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस टीम ने लगातार पीछा करते हुए दीगर राज्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। माह अक्टूबर 2025 में पीड़िता (निवासी जिला शहडोल) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी बाँबी सिंह पिता धर्मपाल सिंह (उम्र 19 वर्ष, निवासी मोहाड़ा दफाई, बिजुरी/मूल निवासी-जिला औरेया, उत्तर प्रदेश) ने उसे शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। सितंबर 2025 में आरोपी उसे बिजुरी स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया और तीन दिनों तक उसका शारीरिक शोषण (बलात्कार) किया, जिसके बाद वह मुकर कर फरार हो गया। थाना बिजुरी में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना के बाद से ही शातिर आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश भाग गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी बिजुरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं साइबर सेल की मदद से आरोपी का लगातार पीछा किया गया। पुलिस की अथक मेहनत के परिणामस्वरूप, टीम ने जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में घेराबंदी कर आरोपी बाँबी सिंह को सफलतापूर्वक दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अनूपपुर पुलिस समस्त आमजन एवं मकान मालिकों से अपील करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर, दुकान या प्रतिष्ठान में किसी बाहरी व्यक्ति को किराएदार रखता है, तो उसका पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। अक्सर बाहर से आए लोग व्यापार या अन्य बहानों से क्षेत्र में किराए पर रहते हैं और गंभीर अपराधों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सजग रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी संदिग्ध की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें। उक्त कार्रवाई एवं आरोपी को उत्तर प्रदेश से ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजने में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह, उप निरीक्षक विपुल शुक्ला, आरक्षक विश्वजीत, कर्मजीत, रवि आनंद बैस तथा साइबर सेल से प्रधान आरक्षक राजेंद्र अहिरवार व पंकज मिश्रा की विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सुविधा शुल्क के सहारे कोयले की कथित छंटाई का खेल

राजनगर रोड सेल यार्ड में करोड़ों के नुकसान की आशंका
प्रति ट्रक 4, 500 रुपये तक वसूली के आरोप,
बेहतर गुणवत्ता का कोयला दिलाने के नाम पर चुनिंदा वाहनों को कथित लाभ

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के राजनगर स्थित रोड सेल स्टॉक यार्ड में कोयले की लोडिंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि यार्ड में कथित रूप से सुविधा शुल्क लेकर बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की अलग से व्यवस्था की जा रही है, जिससे एसईसीएल को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। सूत्रों के अनुसार रोड सेल यार्ड में कुछ ट्रांसपोर्टरों से प्रति ट्रक 4 हजार से 4,500 रुपये तक सुविधा शुल्क लिए जाने की चर्चा है आरोप है कि यह राशि देने वाले वाहनों के लिए निजी मजदूरों अथवा छोटी मशीनों की मदद से बड़े और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले को अलग कर लोड कराया जाता है वहीं सुविधा शुल्क नहीं देने वाले उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक मिट्टी, पत्थर और निम्न गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ट्रांसपोर्टरों का दावा है कि इस पूरी व्यवस्था में रोड सेल इंचार्ज की भूमिका महत्वपूर्ण है जो ट्रांसपोर्टरों से या ट्रक मालिकों से सीधा पैसा ना लेकर प्राइवेट व्यक्ति को रखा गया है जो कि पैसे की वसूली करके इनको देता है कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि सुविधा शुल्क की राशि केवल यार्ड स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गेट पास से लेकर ऊपर तक पहुंचने की बात कही जाती है हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित अधिकारियों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि रोड सेल व्यवस्था में कोयले की गुणवत्ता का सीधा संबंध उसकी आर्थिक कीमत से होता है यदि उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को अलग कर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो इसका सीधा असर कंपनी के राजस्व पर पड़ सकता है। साथ ही यह पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में यार्ड परिसर में बड़े आकार के कोयले को अलग-अलग ढेरों में रखा हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह प्रक्रिया नियमों के तहत संचालित हो रही है तो इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, वहीं यदि अनियमितताएं हो रही हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। मामले को लेकर पहले भी संबंधित प्रबंधन की ओर से किसी प्रकार की अवैध छंटाई से इनकार किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यार्ड में कथित रूप से खुलेआम छंटाई और सुविधा शुल्क का खेल चल रहा है तो इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची, और यदि पहुंची है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्षेत्र के लोगों और ट्रांसपोर्टरों ने पूरे मामले की पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके और राजनगर रोड सेल स्टॉक यार्ड की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। क्षेत्र के लोगों, ट्रांसपोर्टरों एवं उपभोक्ताओं ने हसदेव क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार बिश्नोई से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं का मानना है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होने से कोल इंडिया एवं एसईसीएल को संभावित आर्थिक क्षति से बचाया जा सकेगा तथा रोड सेल व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

108 दंडवत प्रणाम के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले महाराज

अमरकंटक में आस्था और तपस्या का अद्भुत संगम

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। मध्यप्रदेश की पवित्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी अमरकंटक में इन दिनों एक साधक की कठिन तपस्या और अटूट श्रद्धा का अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नर्मदा परिक्रमा के संकल्प के साथ निकले महाराज वनमार्ग और दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए दंडवत प्रणाम कर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी इस तपस्या को देखकर लोग आश्चर्यचकित होने के साथ-साथ श्रद्धा से अभिभूत हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराज नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक बार में 108 दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रत्येक दंडवत के साथ वे नर्मदा मैया का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पुनः दंडवत लगाकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है, जो उनकी अटूट आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का परिचायक है। वनांचल मार्ग पर महाराज की यह कठिन तपस्या देखने के लिए राहगीर रुक जाते हैं। कई श्रद्धालु उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वहीं कुछ लोग उनकी साधना को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते दिखाई देते हैं। तप, त्याग और समर्पण का यह दृश्य लोगों को सनातन परंपरा की महान आध्यात्मिक विरासत की याद दिला रहा है। नर्मदा परिक्रमा को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कठिन साधनाओं में से एक माना जाता है। श्रद्धालु मां नर्मदा के दोनों तटों की परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, किंतु दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ तपस्या मानी जाती है। महाराज का यह संकल्प न केवल शारीरिक धैर्य बल्कि मानसिक दृढ़ता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भी प्रतीक है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आधुनिक युग में जहां सुविधाओं की चाहत बढ़ती जा रही है, वहीं इस प्रकार की तपस्या लोगों को आत्मसंयम, त्याग और भक्ति का संदेश देती है। अमरकंटक जैसी तपोभूमि में साधु-संतों की ऐसी साधनाएं सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि नर्मदा मैया के प्रति महाराज की यह अनन्य भक्ति और कठिन तपस्या समाज को आध्यात्मिक चेतना का संदेश दे रही है। उनकी यह यात्रा आस्था, संकल्प और साधना का ऐसा उदाहरण है, जो हर किसी को प्रेरित कर रहा है।

वर्षा पूर्व आपदा प्रबंधन हेतु बचाव एवं राहत का किया जाए समुचित उपाय-कलेक्टर

बाढ़ संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करें अधिकारी

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। आगामी मानसून काल के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने कलेक्टर हर्षल पंचोली की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव की विशेष उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु के दौरान संभावित आपदाओं का समय रहते सटीक आकलन करें तथा बचाव एवं राहत के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों का शीघ्र चिन्हांकन कर आपदा की स्थिति में त्वरित राहत कार्य शुरू करना तथा जनहानि को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी संवेदनशील और संभावित दुर्घटना क्षेत्रों को चिन्हित सूची तैयार किया जाए, ताकि आपातकाल में राहत दल बिना समय गंवाए सीधे मौके पर पहुंच सके। इसके साथ ही निर्माण विभाग के अधिकारियों को वर्षा से पूर्व जिले के सभी बांधों, डैमों, पुल-पुलियाओं और रपटों का बारीकी से निरीक्षण करने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने कहा कि भारी बारिश के दौरान जिन स्थानों पर पानी पुल के ऊपर से बहता है, वहां दोनों ओर तत्काल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर आवागमन रोका जाए। इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए सक्रिय किए जा रहे जिला कंट्रोल रूम में थाना प्रभारी, सीएमओ, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों सहित सभी मैदानी अमले के संपर्क नंबर अपडेट रखे जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल समन्वय स्थापित किया जा सके। वर्षाकाल के दौरान जनस्वास्थ्य, जलभराव और सुरक्षा को लेकर भी बैठक में व्यापक कार्ययोजना बनाई गई।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी जलजनित व मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से दवा व रसायनों का छिड़काव, औषधि वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जलजमाव को रोकने के लिए उचित निकासी व्यवस्था, सड़कों का पैचवर्क कार्य प्राथमिकता से कराने, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता बेहतर करने तथा तालाब व जलाशयों में चेतावनी बोर्ड लगाने पर बल दिया गया। जनसुरक्षा के मद्देनजर, जिले के सभी जर्जर व खतरनाक भवनों को चिन्हित कर उनके स्वामियों को समय पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भारी बारिश में किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री पंचोली ने स्वास्थ्य विभाग को सर्पदंश से बचाव और आवश्यक सावधानियों के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्पदंश की घटनाओं की रोकथाम एवं समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालय में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं, एंटी-स्नेक वेनम और चिकित्सकों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव ने भी लोक निर्माण विभाग तथा सड़क एवं पुल निर्माण से जुड़े अधिकारियों को वर्षा ऋतु के दौरान आवश्यक संसाधनों, प्रकाश व्यवस्था एवं पर्याप्त कर्मचारियों की मुस्तैदी पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या जलभराव की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित विभाग तत्काल पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करें, ताकि समय रहते त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके और यातायात व्यवस्था व जनसुरक्षा प्रभावित न हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट, डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी, तहसीलदार भू संसाधन एवं प्रबंधन प्रदीप कुमार मोगरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।